संख्या: 1146/सत्रह-म0-2010-II-1-दा21/2006

प्रेषक,

पी0के0 अग्रवाल
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश-लखनऊ ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग — लखनऊ: दिनांक 12 मई, 2010

विषय:- केन्द्र पुरोनिधानित मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 257/नि0शा0/2010-11 दिनांक 15 अप्रैल, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार द्वारा सीधे "फिशकोफेड" को उपलब्ध करायी जाती है। अत: श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में उपर्युक्त योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में प्राविधानित धनराशि रूपया 15,95,000/= (रूपये पन्द्रह लाख पन्यान्बे हजार मात्र) आहरित कर फिशकोफेड को उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशक मत्स्य के नियंत्रण पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निदेशक मत्स्य द्वारा उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को तत्काल भुगतान न करके बीमा किस्त ड्यू होने के 15 दिन पूर्व अवमुक्त की जाय ।

(2) धनराशि का आहरण शासन द्वारा परिव्यय निर्धारित/आवंटित किये जाने तथा भारत सरकार द्वारा इसी धनराशि के समतुल्य धनराशि फिशकोफेड को दिये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि/व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

(4) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजना पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन-आयोजनागत-800-अन्य व्यय, 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0102-मछुआ समुदाय की मछुआ दुर्घटना बीमा योजना (केO50/रTO50) 42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

...2..

6
संलग्नित
17/5
(डा० शिव प्रसाद)
निदेशक मत्स्य
17/5/10
प्र०नि०शा०
(एस० के० सिंह)
संयुक्त निदेशक, मत्स्य

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: बी-1-1685/दस-16/1992 दिनांक 07-07-1992 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-951/दस-2010-231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0के0 अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या: 1146(1)/सत्रह-म0-2010-11-1-दि0 21/06 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली।
3- कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ (मर्यादित) नई दिल्ली।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
7- गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(पी0के0 अग्रवाल)
विशेष सचिव।